संख्या-08/2026/52/एक-5-2026-8/2024

प्रेषक,

राजाराम द्विवेदी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-5 **लखनऊ :: दिनांक 09 फरवरी, 2026**

विषय- जनपद सोनभद्र की नवसृजित तहसील ओबरा के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1906/12-भवन-206/2003, दिनांक 13.01.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद सोनभद्र की नवसृजित तहसील ओबरा के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश सख्या-49/2024/166/एक-5-2024-08/2024, दिनांक 25 अक्टूबर, 2024 द्वारा मानकीकृत लागत रू0 1099.79 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 225.00 लाख अवमुक्त की गयी है।

3- उक्त के क्रम में जनपद सोनभद्र की नवसृजित तहसील ओबरा के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित लागत रू0 1099.79 लाख के सापेक्ष निविदा की लागत समस्त कर सहित कुल रू0 837.09 लाख की 5 प्रतिशत धनराशि को रोकते हुए अवशेष धनराशि रू0 570.2355 लाख **(रू0 पॉच करोड सत्तर लाख तेईस हजार पांच सौ पचास मात्र)** द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त कर नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

(1) राजस्व परिषद द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि नियमानुसार आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0एस0 को उक्त प्रयोजन हेतु उपलब्ध करा दी जायेगी।

(2) वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने विषयक वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में निहित व्यवस्थानुसार राजस्व परिषद द्वारा इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी वह कार्य की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए।

(3) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।

(4) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी किया जायेगा।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 2014 में दिये गये निर्देश के आलोक में कार्य की वास्तविक लागत के आधार पर नियमानुसार व्यय किये जाने के उपरान्त यदि धनराशि शेष बचती है तो उसे निर्धारित प्रक्रियानुसार राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(9) लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(10) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(11) वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि एवं स्वीकृत लागत में ही अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा। भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

(13) अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए सुसंगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सम्मिलित है। कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्य मद में जी0 एस0 टी0 सम्मिलित न हो।

(16) प्रायोजना के संबंध में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से प्रायोजना की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जायेगी।

(17) प्रायोजनान्तर्गत कोई अन्य उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा।

(18) स्थानीय स्तर पर निर्माण कार्यों का उप जिलाधिकारी द्वारा दैनिक अनुश्रवण किया जायेगा तथा कराये जा रहे कार्यों का निर्धारित मानक के अनुरूप गुणवत्ता को सुनिश्चित कराया जायेगा। कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही उक्त की गुणवत्ता की रिपोर्ट प्रत्येक सप्ताह जिलाधिकारी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(19) निर्माण कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक सप्ताह की जायेगी, जिसका जिला स्तरीय गुणवत्ता सेल टास्कफोर्स द्वारा स्थलीय सत्यापन भी प्रत्येक माह में किया जायेगा तथा प्रत्येक माह गुणवत्ता की सत्यापन रिपोर्ट सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन के साथ-साथ प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग एवं राजस्व परिषद को उपलब्ध करायी जायेगी। इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाये कि अनुमोदित आगणन/स्वीकृत धनराशि से अधिक का कार्य कदापि न कराया जाये। और न ही स्वीकृत धनराशि का डायवर्जन किसी दूसरे मद में किया जाये, अन्यथा इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(20) प्रश्नगत परियोजना हेतु शासन द्वारा निर्गत शासनादेश सख्या-49/2024/166/एक-5-2024-08/2024, दिनांक 25 अक्टूबर, 2024 में उल्लिखित अन्य शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(21) तहसीलों के आवासी भवनों के निर्माण हेतु मानकीकरण विषयक शासनादेश दिनांक 04 जनवरी, 2007 के प्रस्तर-3 के अनुसार निर्माण करते समय निर्धारित स्पेसीफिकेशन में परिवर्तन अथवा वित्तीय अनुमोदन के अतिरिक्त निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा यदि बिना शासन की पूर्वानुमति से कराया जाता है, तो उसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यदायी संस्था/संस्थाओं का होगा।

(22) परियोजना का थर्ड पार्टी के रूप में किसी प्रतिष्ठित टेक्निकल इंस्टीटयूट से समय-समय पर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के साथ ही निर्माण कार्य में प्रयुक्त हो रही सामग्री का ऑडिट कराया जाएगा तथा उसकी रिपोर्ट राजस्व परिषद के साथ ही शासन को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-4216-आवास पर पूजीगत परिव्यय-01-सरकारी रिहायशी भवन-106-साधारण पूल आवास-07-प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के आवासीय भवनों के चालू कार्यो एवं भूमि क्रय हेतु-24-वृहत् निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्र्तगत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजाराम द्विवेदी
विशेष सचिव

संख्या-08/2026/52(1)/एक-5-2026-8/2024::तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- कोषाधिकारी, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- जिलाधिकारी, सोनभद्र।
7- निदेशक, सी0 एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), लखनऊ/परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-38, सी0 एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), सोनभद्र।
8- नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेन्ट सिस्टम, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- राजस्व अनुभाग-6
10- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।